


कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

संयुक्त निदेशक-स्कूल शिक्षा जोधपुर के पत्रांक दिनांक 23.10.19 की अनुशंषा के आधार पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नान्दिया जाजड़ा -बावडी- जोधपुर का लगातार विद्यालय वातावरण दूषित करने, विद्यालय में विद्यार्थियों द्वारा पत्थरबाजी प्रकरण में गंभीर स्थिति के आधार पर जांच रिपोर्ट में दोषी पाये जाने के कारण श्री रामनिवास, व्याख्याता-इतिहास राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नान्दिया जाजड़ा-बावडी- जोधपुर को तत्काल प्रभाव से प्रशासनिक कारणों से (एपीओ) पदस्थापन प्रतीक्षा में किया जाकर, मुख्यालय कार्यालय संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) जोधपुर किया जाता है। संबंधित संस्था प्रधान को निर्देशित किया जाता है कि उक्त को अविलम्ब कार्यमुक्त कर कार्यालय संयुक्त निदेशक(स्कूल शिक्षा)जोधपुर में उपस्थिति देने हेतु पाबन्द करें।

सम्बन्धित तत्काल पालना करावें।



(नथमल डिलेल)

आई.ए.एस.

निदेशक,

माध्यमिक शिक्षा


राजस्थान, बीकानेर

दिनांक- ०१.११.२०१९

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-2/वाणि-इति/एपीओ-पदस्थापन/2019

प्रतिलिपि:-प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

- 1 विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री(स्वतंत्र प्रभार) राजस्थान सरकार जयपुर
- 2 सम्बन्धित संयुक्त निदेशक-स्कूल शिक्षा,
- 3 सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी-मुख्यालय/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
- 4 सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्युटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अद्यतन करने हेतु।
- 5 अनुभाग अधिकारी शाला दर्पण अनुभाग कार्यालय हाजा को उक्तानुसार कार्मिक के कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण कार्यवाही सम्पादित करावें।
- 6 संबंधित संस्था/शाला/प्रधानाचार्य को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार शाला दर्पण को तत्काल अपडेट करवावें।
- 7 सम्बन्धित कार्मिक/अनुभाग अधिकारी-सी-8/रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक(कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर